19.2.24 होने से पत्रावली विलोक-

1/8/05/2024 पत्रावली पेश हुई। आवेदक/ग्रामीगण/आवेदक/ग्रामीगण ने अपने ग्रामीण पत्र को जरिये नोटपेज खारिज करने का निवेदन किया।

No effect

अतः आवेदक/ग्रामीगण के निवेदन पर ग्रामीण पत्र अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये नोटपेज इसी तरह खारिज किया जाता है।

पत्रावली में फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर आवश्यक कार्यवाही करावें।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:29:56 IST
Reason: SelfAttested